

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (पाली)

कानाराम

बनाम

तहसीलदार

किस्म मुकदमा :- राजस्व वाद, नम्बर :- 337/2015

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
तारीख
अहकाम जो
हक हुकम
की तामील
में जारी हुए

09.07.215

चकील वादी उपस्थित।

राज्य सरकार द्वारा आयोजित राजस्व लोक अदालत केम्प अदल सेवा केन्द्र-चावण्डियाकलां में पत्रावली पेश हुई। वादी ने दावा अन्तर्गत धारा 88 RT Act. के तहत पेश किया। वादी का दावा दर्ज रजिस्टर हो। वादी ने निवेदन किया कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 178, 185, 190, 191, 192 कुल कित्ता 05 कुल रकबा 136-10 बीघा में मेरा नाम कन्हैयालाल दर्ज है जबकि वास्तविक नाम कानाराम है। सबूत में कानाराम ने पहचान-पत्र की छाया प्रति पेश की है। वादी ने दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

राजस्व लोक अदालत में मजमा-ए-आम में जानकारी प्राप्त की गई। मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 178, 185, 190, 191, 192 कुल कित्ता 05 कुल रकबा 136-10 बीघा में वादी का नाम कन्हैयालाल दर्ज है जबकि सबूत के आधार पर कानाराम बखूबी साबित है। वाद के समर्थन में पहचान-पत्र की छाया पेश किया। कन्हैयालाल के स्थान पर कानाराम को खातेदार काश्तकार घोषित करना उचित समझते हैं।

अतः डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अगर की सादिर की जाती है कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 178, 185, 190, 191, 192 कुल कित्ता 05 कुल रकबा 136-10 बीघा भूमि में कन्हैयालाल के स्थान पर कानाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसाल किया जावे। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकगील जाब्ला पत्रावली दाखिल दफतर/लेख्य भण्डार जमा हो।



SDO

डिक्री बमुकदमें इब्तादाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादी :- बनाम प्रतिवादी :-

कन्हैयालाल पुत्र लालूराम

जाति-सीरवी,

निवारी-चावण्डियाकलां

तहसील-जैतारण, जिला-पाली

(राज.)

सरकार तरिये तहसीलदार

जैतारण

राजस्व वाद बाबत घोषणा, व स्थाई

मु0न0 :रा0वा0 स0: 337/2015


विषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वारते ईनफिसाल कतई रुबरु-..... व हाजरी स्वयं वादी मिनजानिब मुद्धई व प्रतिवादी मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती है कि मौजा-चावण्डियाकलां में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 178, 185, 190, 191, 192 कुल किता 05 कुल रकबा 136-10 बीघा भूमि में कन्हैयालाल के स्थाव पर कानाराम को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकगील जाब्ता पत्रावली दाखिल दपत्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

बीज-.....गुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय रूद व शहर-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक-.....को अदा करें।

बसिब मेरे दस्तखत व मोहर लोक अदालत / केम्प कोर्ट शिविर अटल सेवा केन्द्र चावण्डियाकलां में आज तारीख 09/07/2015 को जारी किया गया ।



उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महमताना चकील		
महमताना चकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		

गिजान:-

गिजान:-

नोट:- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।